विषय : मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अंतिम आवासों को मार्च, 2017 तक पूर्ण करने बाबतः

वर्ष 2011-12 के बजट में वर्ष 2011-12 से 2013-14 राज्य सरकार की प्रतिभूति पर विभिन्न जिला परिषदों द्वारा हड़कम से फ्लॉटिंग ब्याज कर पर ऋण द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना प्रारंभ की। योजना के क्रियान्वयन हेतु इंदिरा आवास योजना के दिशा-निर्देश ही ग्रामीण है।

इंदिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों के बिन्दु संख्या 4.9 के अनुसार "किसी बाह्य एजेंसी द्वारा मकानों का निर्माण एवं डिलीवरी नहीं की जावेगी तथा अधिकारी सरकारी विभाग एवं एजेंसियां तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं अथवा यदि लाभार्थी की इच्छा हो तो उसे सीमेंट, इस्पात या ईट आदि की समन्वित आपूर्ति की व्यवस्था कर सकते हैं। परंतु, 60 वर्ष के अधिक आयु वाले बुजुर्ग व्यक्ति, विकलांग व्यक्तियों जो निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करने में असमर्थ हो और जिन्होंने ऐसी सहायता के लिए लिखित में अनुरोध किया हो, के मामलों में निर्माण कार्य प्रतिष्ठित एजेंसियों को सौंपा जा सकता है।"

योजनान्तर्गत प्रभावी इंदिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों के उक्तानुसार बिन्दु संख्या 4.9 के अनुसार यदि लाभार्थी की इच्छा हो तो उसे सीमेंट, इस्पात या ईट आदि की समन्वित आपूर्ति की व्यवस्था अथवा बुजुर्ग व्यक्ति, विकलांग व्यक्तियों आदि जो निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करने में असमर्थ हो और जिन्होंने ऐसी सहायता के लिए लिखित में अनुरोध किया हो, के विशेष मामलों में निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से पूर्ण कराना सुनिश्चित करावे। ऐसे विशेष मामलों के आवासों की बकाया किस्तें सम्बन्धित लाभार्थी की लिखित में अनुरोध/सहमति उपरांत ही जिला परिषद स्तर से समन्वित ग्राम पंचायत के द्वारा आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने पर नियमानुसार देय शेष किस्तों की राशि लाभार्थी के खाते में भुगतान न कर समन्वित ग्राम पंचायत को भुगतान किया जा सकेगा।

अं: मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजनान्तर्गत उक्तानुसार विशेष शिखितता प्रदान कर समन्वित लाभार्थी की लिखित में अनुरोध/सहमति उपरांत समन्वित ग्राम पंचायत को शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्यकारी संस्था बनाकर अपूर्ण आवासों को मार्च, 2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करावे।

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

D:\Vijay (P)\AK Jain 2016-17\Letter 2016-17.doc 183
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—
1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय ग्रावि एंव पं.रावि।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेंद्र उप सचिव (मो एवं मुं), ग्रावि को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. जिला कलेक्टर समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रावि), समस्त।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, हड़को, हड़को भवन, जयपुर।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)